

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

~~रामरतन सुज्जाराण~~ वगै.

~~ब्राह्मण श्रीकिशन~~ वगैरह

किस्म प्रकारण : राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं.-242/2015

तारिख हुयग	हुयग या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर. य तारिख अहकाम जो इस हुयग की तागील में जारी हुये।
03.07.15	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने उपरिथत होकर अप्रार्थीगणों के विरुद्ध अधीन धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी का दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 20.07.2015 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">7</p> <p><u>20/7/15</u> वकील प्रार्थी 240। प० ला एव अवन क। प० ही निमत दिनांक 24/7/15 को पेश हो (3)</p> <p style="text-align: center;">24/7/15</p> <p style="text-align: center;">24/8/15</p> <p><u>24/8/15</u> वकुलाप 246 अर्थात् 243 राजस्थान की अर्थात् वकील की प० का। मदी के वकालतनाम पत्र किया प० ला एव काहा पक्ष पत्र निमत दि 29/9/15 को पेश हो (3)</p> <p style="text-align: center;">29/9/15</p>	

तारीख

जागीर को विदायत की जाती है कि भूजागीर संख्या 04 से 06 की तलकी देतु कोरिसंतलवागा पेशा करे। तलकी देतु न्याय हित में अतिरिक्त क्वलर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 18/6/18 को पेश हो।

18.6.18

पत्रावली न्याय आप के डाक सिविल में अदालत सेवा केन्द्र यागल्ला में पेश हुयी जागीर को क्वलर 2 क्वलर डेन के बाइ की समन तलखाना पेश नही कर रहे है। अदालत नोडिस 10 दिनांक 3 सी.जी.पी.न के तहत जागीर पत्र खारीज होने भोग्य है। इस जागीर पत्र में तहसीलदार की रिपोर्ट में भी अदालत साफे किये है कि खसरा नं. 910/168 शब्दा 0-08 बीघा शास्ता कर्मसे में भागा हुआ है परन्तु मॉनिटर क्वलर है तथा इस खसरा पर भूजागीर सं. 06 का कब्जा बताया है। अतः जागीर द्वारा शास्ता को शुलवाने की कानिवाही कर सकता है तथा शास्ता कामगु करना न्यायोचित की है। इस के अलावा संलग्न प्रस्ता में भी अदालत है शास्ता ख नं. 910/168 शब्दा गजा है जो मारि क्वट में शखा गजा है। इस प्रकार जागीर का जागीर पत्र चलने योग्य नही होने के कारण जागीर पत्र भूजागीर कर खारीज किया जाता है। पत्रावली के साथ भुगत होम नम्बर से कर क्वलर उभार दाखिल हो।

म  
ज